


**बिहार सरकार**  
**मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**

--: अधिसूचना :-

पत्र सं० :- 3/सी०एस०/एम०-501/2010 .....1352 / पटना-15, दिनांक 07 अक्टूबर, 2011


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-1603, दिनांक-26.11.2010 में आंशिक संशोधन करते हुए संविधान के अनुच्छेद 166 (3) के अधीन बनी कार्यपालिका नियमावली के नियम 6 (i) के अनुसार बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बिहार की सलाह से श्री जीतन राम माँझी, मंत्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग, बिहार को तात्कालिक प्रभाव से वर्तमान में आवंटित विभाग के अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का कार्य भी आवंटित करते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(रविकान्त)


सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 3/सी०एस०/एम०-501/2010 .....1352 पटना-15, दिनांक 07 अक्टूबर, 2011  
प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना/सभी मंत्री/राज्यमंत्री के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय एवं सचिव, बिहार विधान परिषद, सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(रविकान्त)


सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 3/सी०एस०/एम०-501/2010 .....1352 पटना-15, दिनांक 07 अक्टूबर, 2011  
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विकास भवन एवं विश्वेश्वरैया भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(रविकान्त)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 3/सी०एस०/एम०-501/2010 .....1352 पटना-15, दिनांक 07 अक्टूबर, 2011  
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
(रविकान्त)

सरकार के प्रधान सचिव